यह निरीक्षण प्रतिवेदन **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बी0 डी0 पाण्डे महिला चिकित्सालय, नैनीताल** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बी0 डी0 पाण्डे महिला चिकित्सालय, नैनीताल** के माह 04/2012 से 12/2016 तक के अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अरविन्द शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री संजय कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं दयाशंकर, वरि0 लेखा परीक्षक द्वारा दिनॉक 28.01.2017 से 02.02. 2017 तक श्री डी0 एन0 मिश्रा, व0 लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–1

1. (अ) परिचयात्मक : इस इकाई की विगत लेखा परीक्षा श्री प्राचीश सिंघल, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं श्री हनुमान सिंह, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 04.07.2012 से 10.07.12 तक श्री डी0 पी0 लखेड़ा, लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2010 से 03/2012 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखा परीक्षा में माह 04/2012 से 12/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (प) इकाई के कियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः– नैनीताल जिले के शहरी/गामीण क्षेत्रों में महिलाओं से सम्बन्धित चिकित्सकीय कार्य।

(पप) **(अ)** विगत तीन वर्षो में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि रू0 लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (–)
	स्थापना	गैर स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय		
2013&14	2.21	155.28	26.61	22.06	170.65	155.28	0	177.41
2014&15	6.76	170.65	31.20	27.59	184.66	167.96	0	197.72
2015&16	10.37	187.35	34.57	33.20	258.34	211.13	0	234.56

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण।

(धनराशि रू0 लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा0 अवशेष	प्राप्त	अन्य प्राप्ति	कुल धनराशि	व्यय	अवशेष
2013–14	आर0सी0एच0	04.82	28.84	00.47	34.14	22.62	11.52
	इम्यूनाइजेशन	00.24	05.00	00.03	05.27	04.56	00.71
	एडिशनल	01.33	11.78	00.01	13.21	09.52	03.69
2014–15	आर0सी0एच0	11.52	13.36	00.21	25.09	17.47	07.62
	इम्यूनाइजेशन	00.71	05.09	00.03	05.83	04.47	01.36
	एडिशनल	03.69	14.48	00.14	18.31	10.78	07.53
2015–16	आर0सी0एच0	07.62	20.76	00.26	28.64	27.16	01.48
	इम्यूनाइजेशन	01.36	05.31	00.05	06.72	05.42	01.30
	एडिशनल	07.53	08.49	00.35	16.36	06.35	10.01

(पपप) इकाई को बजट आबंटन **केन्द्रांश एवं राज्यांश मद के** द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बी0 डी0 पाण्डे महिला चिकित्सालय, नैनीताल सी** श्रेणी की है।

(पअ) **लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखा परीक्षा विधिः** लेखा परीक्षा में **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बी0 डी0 पाण्डे महिला चिकित्सालय, नैनीताल** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बी0 डी0 पाण्डे महिला चिकित्सालय, नैनीताल** की लेखा परीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है। माह **03/2015 एवं माह 06/2015** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। इकाई में कोई वृहत निर्माण कार्य नहीं किया गया।

(अ) लेखा परीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग . ϖϖ

1. विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या	भाग दो–अ	भाग दो–ब	ैज।छ
2004–05	1	1	–
117/2012–13	–	1,2	1,2

2. विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

भाग . प्ट

इकाई के सर्वोत्म कार्य :– –शून्य–

भाग - V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बी0 डी0 पाण्डे महिला चिकित्सालय, नैनीताल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये**:

(प)

(पप) **–शून्य–**

(पपप)

2. सतत् अनियमितताऐं:

(प) **–शून्य–**

3. लेखा परीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:

क्रम सं0	नाम	अवधि
1	डा0 अमिता उप्रेती	26.11.11 से 03.08.12
2	डा0 विनीता शाह	04.08.12 से **वर्तमान तक**

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बी0 डी0 पाण्डे महिला चिकित्सालय, नैनीताल** को इस आशय से प्रषित कर दी जायेगी की अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उपमहालेखाकार सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाय।

सहा0 लेखापरीक्षा अधिकारी
दल संख्याः–04

भाग 2 ब

प्रस्तर 1:– रू0 7.27 लाख की औषधियों का अनियमित क्रय किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन वित्त विभाग संख्या 177/ग्ग्टप्;7द्ध/2008 देहरादून :– दनांकः 1 मई, 2008 अधिप्राप्ति के मौलिक सिंद्धान्त बिन्दु संख्या 3(1) में स्पष्ट किया गया है कि समस्त अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा तथा निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए ताकि व्यय की जाने वाली धनराशि का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके, एवं बिन्दु सं0 (10) में स्पष्ट किया गया है कि अधिप्राप्ति के निम्नतर दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाए। अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए आवश्यक मात्रा को विभाजित नहीं किया जाएगा और न ही कुल आवश्यकता के आकंलित मूल्य के सन्दर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की अवाश्यकता से बचने के लिए छोटे–छोटे भागों में विभक्त किया जाएगा।

अभिलेखों की औषधी क्रय से सम्बन्धित वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के व्हाउचरों का अवलोकन करने पर पाया गया कि इकाई द्वारा कोटेशन/निविदा प्रक्रिया एवं उच्च अधिकारी की संस्तुति प्राप्त करने से बचने के लिए कुल रू0 **7,26,698** मूल्य की औषधियों का क्रय सीधे आपूर्ति मूल्य को कम कर उक्त नियमों के विपरीत किया गया जिसका विवरण निम्नवत है।

क्र0सं0	फर्म का नाम	बिल क्रमां	क्रय की तिथि	मूल्य
1	Rudraksh Surgical		04.01.13	13870
2	-do-		08.02.13	11690
3	-do-		08.03.13	12800
4	-do-		05.04.13	14080
5	-do-		08.04.13	14084
6	-do-		18.09.13	13800
7	-do-		21.09.13	13957

8	-do-		02.01.14	14400
9	-do-		09.01.14	13635
10	Alps pharmsutical		08.04.13	13850
11	-do-		03.08.13	13500
12	-do-		12.08.13	14225
13	-do-		02.09.13	13515
14	-do-		20.09.13	14525
15	-do-		08.02.14	13500
16	-do-		17.02.14	14400
17	-do-		12.04.14	14225
18	-do-		25.08.14	14435
19	Surya Medical		04.04.13	14448
20	-do-		05.06.13	12800
21	-do-		03.07.13	13500
22	-do-		10.07.13	12510
23	-do-		18.07.13	10570
24	-do-		07.08.13	4800
25	-do-		12.08.13	14300
26	-do-		18.10.13	14175
27	-do-		19.10.13	1600
	-do-		06.11.13	12800
28	-do-		01.07.14	12800
29	-do-		04.07.14	4800
30	-do-		25.08.14	13400
31	-do-		02.01.15	12150
32	Axa Parentral ltd.		08.02.13	21785
33	-do-		16.06.13	4450
34	-do-		03.07.13	13500
35	-do-		20.11.13	37340
36	-do-		21.11.13	27000
37	-do-		04.01.14	33700
	-do-		04.01.14	13500
38	-do-		08.01.14	13500
39	-do-		30.01.15	13650
40	-do-		12.02.15	13050
41	Balaji Surgical		22.02.13	14205
42	-do-		03.07.13	10282
	-do-		21.09.13	14340
43	-do-		17.02.14	13500
44	-do-		20.02.14	13965
45	-do-		01.07.14	13200
46	-do-		04.07.14	12500
47	-do-		19.08.14	11772
48	-do-		19.09.14	14110
49	-do-		02.01.15	14205

Total	726698

इसके अतिरिक्त संज्ञान में यह भी पाया गया कि उक्त वर्ष में कुल 20 से 25 फर्मों से तत्काल आवश्यक्ता को दर्शाते हुए औषधियों/सामाग्रियों का क्रय किया गया।

लेखा परीक्षा की आपत्तियों को स्वीकारते हुये विभाग ने भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

अतः रू0 7.27 लाख की औषधियों का अनियमित क्रय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर 2:– रू0 4.80 लाख की निष्प्रयोज्य सामाग्रियों की नीलामी न किया जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली आदेश संख्या 177/ग्ग्टप्;7द्ध/2008 देहरादून :– दिनांकः 01 मई, 200876. के बिन्दू संख्या 76 के अनुसार सामाग्रियों के भौतिक सत्यापन के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है कि ''रजिस्टर में उल्लिखित आस्तियों/सामग्री की उपलब्धता और पुरानी और निष्प्रयोज्य सामग्री के निस्तारण हेतु कार्यालयाध्यक्ष/सक्षम प्राधिकारी या उसके नामिति द्वारा प्रतिवर्ष 31 मार्च को वार्षिक सत्यापन किया जाए''।

अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि इकाई में दिनांक 12.06.15 को निष्प्रयोज्य सामाग्रियों का भौतिक सत्यापन किया गया था उसके पश्चात कोई भी भौतिक सत्यापन नहीं किया। साथ ही डेड स्टाक पंजिका का अवलोकन करने पर यह भी पाया गया कि इकाई में रू0 0.90 लाख मूल्य की ठवकल प्दबनइमजमत वर्ष 2007 से, रू0 1.00 लाख की ।नजवबसंअम वर्ष 2005 से एवं रू0 2.90 लाख की एक एम्बुलेन्स वर्ष 2012 से अर्थात कुल रू0 4.80 लाख मूल्य की निष्प्रयोज्य सामाग्रियां इकाई के पास पड़ी हुई है जिसकी नीलामी सम्बन्धी कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी।

लेखा परीक्षा की आपत्तियों को स्वीकारते हुए विभाग ने उत्तर में बताया कि उक्त सामाग्रियों की नीलामी कर लेखा परीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा।

अतः रू0 4.80 लाख की निष्प्रयोज्य सामाग्रियों की नीलामी न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर :–रू0 29.86 लाख की धनराशि को रोकड़ बही में अंकित नहीं किया जाना।

षासन के पत्रांक सं0 3/गगअपप;6द्ध/2013 दिनांक 02 जनवरी 2013 बिन्दु संख्या 4.9 में ई–पेमेंट प्रणाली में दिये गये दिषा निदेर्षो के अनुसार 'आहरण एवं संवितरण अधिकारी इन्टरनेट की सहायता से अपने देयकों की धनराषि सम्बन्धितों के बैंक खाते में अन्तरण हो जाने के विवरण का प्रिन्ट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान सम्बन्धित अभिलेखों–यथा 11 सी पंजिका, कैषबुक, बिल रजिस्टर आदि में इनके प्राप्त होने की प्रविश्टि यथा स्थान पर करेंगे'।

कार्यालय की रोकड़ बही में चयनित माहों (03.2015 एवं 06.2015) की नमूना जांच में पाया गया कि कुल रू0 29,86,578 की धनराशियों को रोकड़ बहीं में नहीं दर्शाया गया है। विवरण निम्नवत है।

Details		
Date	Bill No	Amount
01.06.2015	11006	963401
-do-	11006	209396
-do-	11006	213790
27.06.2015	71206	1150437
-do-	71206	221683
-do-	71206	227871
Grant total		29,86,578

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने आपत्तियों को स्वीकारते हुये उत्तर में बताया कि भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अतः रू0 29.86 लाख की धनराशि को रोकड़ बही में अंकित नहीं किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।